छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

विविध अपील (सिविल) क्रमांक 900/2009

अपीलकर्ता : बीमा कंपनी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण : नदीराम एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

निर्णय हेतु प्रस्तुत : दिनांक 17/12/2013 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

विविध अपील (सिविल) क्रमांक 900/2009

अपीलकर्ता : बीमा कंपनी – द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण : नदीराम एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध अपील)

उपस्थिति:

श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता — अपीलकर्ता की ओर से।

श्री राकेश ठाकुर, अधिवक्ता — प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से।

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 से 4 के लिए कोई उपस्थित नहीं, यद्यपि समन तामील हो चुका है।

निर्णय

(दिनांक 17/12/2013 को पारित)

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का पालन करते हुए, अपीलकर्ता/ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा यह

अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 17/03/2009 को दुर्घटना दावा अधिकरण, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित पंचार की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दी गई है। दावा प्रकरण क्रमांक 61/2008, जिसके द्वारा दावाकर्तागणका आवेदन आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया, तथा अपीलकर्ता/बीमा कंपनी को आक्षेपित पंचार के अंतर्गत देय राशि की प्रतिकर करने हेतु निर्देशित किया गया।

2. इस अपील के न्याय-निर्णयन हेतु संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :

2.1 कु. तनुजा ठाकुर, आयु लगभग 34 वर्ष, एक मिनीबस जिसमें पंजीयन क्रमांक CG-04/E/0694 था, में यात्रा कर रही थीं। बस चालक की लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण, कु. तनुजा ठाकुर मिनीबस से नीचे गिर गईं और उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 (जिन्हें आगे 'दावा प्रस्तुतकर्ता' कहा जाएगा) ने वाहन के स्वामी, चालक एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध संयुक्त एवं पृथक रूप से ₹9,29,000/- की प्रतिकर हेतु दावा याचिका, दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2.2 वाहन स्वामी एवं बीमाकर्ता द्वारा दावा याचिका का विभिन्न आधारों पर प्रतिवाद किया गया। बीमाकर्ता ने अपने लिखित कथन में यह अभ्यावेदन किया कि उसके द्वारा जारी बीमा पॉलिसी क्रमांक 4368, दिनांक 12/10/2006, जिसके अंतर्गत उक्त मिनीबस का जोखिम 12/10/2006 से 11/10/2007 की अवधि के लिए आच्छादित किया गया था, वैध नहीं थी, क्योंकि प्रीमियम का भुगतान चेक क्रमांक 37450 के माध्यम से किया गया था तथा उक्त चेक अनादृत हो गया। इस संबंध में बीमा पॉलिसी निरस्त करते हुए इसकी विधिवत सूचना वाहन स्वामी को दे दी गई थी। अतः अपीलार्थी/बीमा कंपनी आक्षेपित प्रतिकर अधिनिर्णय के प्रति क्षतिपूर्ति करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

2.3 दावा अधिकरण ने साक्ष्य अभिलेखित करने तथा पक्षकारों को सुनने के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 24/04/2007 को मृतका कु. तनुजा ठाकुर उक्त मिनीबस में यात्रा कर रही थीं और प्रत्यर्थी/चालक की लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण वह मिनीबस से नीचे गिर गईं तथा दुर्घटना में प्राप्त चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दावा अधिकरण ने दस्तावेजी एवं

मौखिक साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर यह तथ्यात्मक निष्कर्ष भी दर्ज किया कि पॉलिसी क्रमांक 998 के संबंध में जारी चेक अनादरित हो गया था तथा प्रश्नधीन वाहन को आच्छादित करने वाली पॉलिसी क्रमांक 4368 के निरस्तीकरण की सूचना वाहन स्वामी को नहीं दी गई थी। अतः इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता/बीमा कंपनी को दावाकर्तागणको प्रतिकर राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी ठहराया गया। दावा अधिकरण ने अपने दिनांक 17/03/2009 के पंचार द्वारा यह भी अभिलिखित किया कि दावाकर्ता ₹1,95,500/- (रुपये एक लाख पचानवे हजार पाँच सौ मात्र) की प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा उक्त राशि का विभाजन दावाकर्तागण के मध्य किया गया।

2.4 आक्षेपित पंचार से असंतुष्ट होकर, वर्तमान अपील अपीलकर्ता/बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है।

2.5 अपीलकर्ता/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर अग्रवाल ने यह निवेदन किया कि यह निर्विवाद तथ्य है कि वाहन के बीमा प्रीमियम के भुगतान हेतु प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी द्वारा जारी किया गया चेक अनादरित हो गया था तथा इस तथ्य की सूचना दुर्घटना की तिथि से पूर्व ही प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी को दे दी गई थी। अतः बीमा अनुबंध शून्य हो गया था और अपीलकर्ता/बीमाकर्ता को पॉलिसी के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। श्री अग्रवाल के अनुसार, बीमा अनुबंध प्रतिफल के अभाव में शून्य हो जाने के कारण, तृतीय पक्ष के संबंध में भी बीमाकर्ता पर कोई दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2.6 इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश ठाकुर ने यह निवेदन किया कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन को आच्छादित करने वाली बीमा पॉलिसी के निरस्तीकरण की सूचना कभी भी वाहन स्वामी को नहीं दी गई। अतः अपीलकर्ता/बीमाकर्ता अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता अतः माननीय दावा अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता/बीमाकर्ता को प्रतिकर राशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित है।

2.7 प्रत्यर्थी क्रमांक 3 एवं 4 (वाहन स्वामी एवं चालक) की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि समन तामील हो चुका था।

3. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा दावा अधिकरण के आक्षेपित पंचार एवं अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

4. विचारार्थ संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या माननीय दावा अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष निकालना न्यायोचित था कि अपीलकर्ता/बीमाकर्ता आक्षेपित पंचार के अंतर्गत देय राशि की प्रतिकर करने हेतु उत्तरदायी है?

5. प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी द्वारा बीमा कंपनी के अधिकारी के पक्ष में पॉलिसी जारी कराने हेतु दिनांक 12/10/2006 का चेक क्रमांक 37450, राशि ₹19,864/- जारी किया गया। उक्त चेक की प्राप्ति पर अपीलकर्ता/बीमाकर्ता द्वारा मोटर वाहन पॉलिसी क्रमांक 4368 जारी की गई, जिससे प्रश्नधीन वाहन (मिनीबस) के जोखिम को आच्छादित किया गया। इसके अतिरिक्त, वाहन स्वामी के पक्ष में पॉलिसी क्रमांक 998, जो कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी थी, भी जारी की गई। उक्त बीमा पॉलिसी प्रदर्श एन. ए. -3(1) से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 12/10/2006 को जारी की गई पॉलिसी, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के जोखिम को 12/10/2006 से 11/10/2007 की अवधि के लिए आच्छादित करती थी। इसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि **"यह वारंट किया जाता है कि प्रीमियम चेक के अनादरित होने की स्थिति में उक्त दस्तावेज प्रारंभ से ही स्वतः निरस्त माना जाएगा।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. संयुक्त चेक क्रमांक 37450, राशि ₹19,864/- दिनांक 12/10/2006, जो प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी द्वारा उक्त दोनों पॉलिसियों के विरुद्ध जारी किया गया था, बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया। बैंक ने अपने ज्ञापन दिनांक 14/10/2006, प्रदर्श एन. ए. -3(3) के माध्यम से अपीलकर्ता/बीमाकर्ता को सूचित किया कि उक्त चेक क्रमांक 37450, वाहन स्वामी द्वारा जारी किया गया, "पर्याप्त धनराशि के अभाव" के कारण वापस कर दिया गया है। इसके उपरांत, बीमा कंपनी ने अपने पत्र प्रदर्श एन. ए. -3(4) दिनांक 07/11/2006 के माध्यम से प्रत्यर्थी/वाहन

स्वामी को सूचित किया कि पॉलिसी क्रमांक 998 के प्रीमियम के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर आहरित चेक क्रमांक 37450, दिनांक 12/10/2006, राशि ₹19,864/- अनादरित हो गया है। उक्त सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की गई, जिसके समर्थन में डाक प्रेषण पुस्तिका एवं डाक रसीद क्रमशः प्रदर्श एन. ए. -3(5) एवं एन. ए. -3(6) के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें अपीलकर्ता/बीमाकर्ता द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया है।

7. श्री विजय कुमार बेंडी (अनावेदक साक्षी -3(1)), सहायक—ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहायक प्रबंधक श्री विजय कुमार बेंडी (अनावेदक साक्षी -3(1)) का परीक्षण किया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अपीलकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी क्रमांक 14252307/4368/2007 को वाहन स्वामी द्वारा ₹19,864/- का जारी किया गया चेक अनादरित हो जाने के कारण निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने अपने परीक्षण के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी के पक्ष में दो पॉलिसियां जारी की गई थीं— एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी क्रमांक 998 तथा दूसरी जोखिम बीमा पॉलिसी क्रमांक 4368, जो दुर्घटना कारित करने वाला को आच्छादित करती थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, प्रीमियम चेक के अनादरित होने की स्थिति में पॉलिसी स्वतः निरस्त हो जाती है। हालांकि, उन्होंने यह स्वीकार किया कि दिनांक 07/11/2006 के ज्ञापन में अपरिहार्य त्रुटि के कारण पॉलिसी क्रमांक 4368 के निरस्तीकरण का तथ्य अंकित नहीं किया जा सका और उसके स्थान पर वाहन स्वामी की अन्य पॉलिसी क्रमांक 998 का उल्लेख कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों एवं साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आते हैं :—

(1) चेक क्रमांक 37450, दिनांक 12/10/2006, राशि ₹19,864/-, प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी द्वारा अपीलकर्ता/बीमाकर्ता के पक्ष में दो पॉलिसी जारी करने के लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया है।

(ii) उक्त प्रीमियम राशि के विरुद्ध वाहन स्वामी के पक्ष में दो पॉलिसियां जारी की गई थीं— एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी क्रमांक 998 तथा दूसरी पॉलिसी क्रमांक 4368, जो दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के जोखिम को आच्छादित करती थी।

(iii) उक्त प्रीमियम चेक दिनांक 12/10/2006, दिनांक 14/10/2006 को अनादरित हो गया। अपीलकर्ता/बीमाकर्ता ने ₹19,864/- के उक्त चेक के अनादर तथा पॉलिसी क्रमांक 998 के निरस्तीकरण की सूचना दिनांक 07/11/2006 के पंजीकृत पत्र के माध्यम से वाहन स्वामी को दी।

(iv) चेक के अनादर/पॉलिसी के निरस्तीकरण सूचना के 144 दिनों पश्चात, दिनांक 27/04/2007 को प्रश्नाधीन वाहन का दुर्घटना घटित हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता/बीमाकर्ता द्वारा प्रीमियम चेक के अनादर के पश्चात पॉलिसी को निरस्त किया गया था तथा क्या उक्त निरस्तीकरण की सूचना दुर्घटना की तिथि, अर्थात् 27/04/2007 से पूर्व, प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी को दी गई थी?

10. स्वीकृत रूप से है कि बीमा पॉलिसी में स्पष्ट रूप से यह शर्त उपबंधित है कि प्रीमियम चेक के अनादरित होने की स्थिति में बीमा पॉलिसी प्रारंभ से ही स्वतः निरस्त मानी जाएगी। वर्तमान प्रकरण में, दिनांक 12/10/2006 का चेक, दिनांक 14/10/2006 को "पर्याप्त धनराशि के अभाव" के कारण अनादरित हो गया। उक्त चेक के अनादर की सूचना प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी को दिनांक 07/11/2006 के पंजीकृत पत्र के माध्यम से दी गई, जिसमें यह उल्लेखित था कि उपरोक्त चेक अनादरित हो गया है तथा पॉलिसी क्रमांक 998 निरस्त कर दी गई है, और उसे पुनः भुगतान जमा करने की सलाह दी गई थी।

11. यद्यपि यह निर्विवाद है कि दिनांक 07/11/2006 का निरस्तीकरण पत्र, प्रदर्श अनवेदक क्रमांक -3(4), में केवल पॉलिसी क्रमांक 998 अर्थात् व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी, जो

प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी के पक्ष में जारी की गई थी, के निरस्तीकरण का उल्लेख किया गया है; तथापि यह तथ्य विद्यमान है कि उक्त पत्र के माध्यम से ₹19,864/- के चेक के अनादर की सूचना वाहन स्वामी को पंजीकृत डाक द्वारा विधिवत् दी गई थी। उक्त चेक दुर्घटना कारित करने वाला वाहन को आच्छादित करने वाली बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान हेतु, साथ ही व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के जारी करने दी गई थी। उक्त पत्र का पता तथा डाक रसीद भी अभिलेख पर प्रस्तुत कर विधिवत् सिद्ध की गई है, जिससे यह स्थापित होता है कि उक्त सूचना वाहन स्वामी को प्रेषित की गई थी। दुर्घटना दिनांक 27/04/2007 को घटित हुई। वाहन स्वामी ने यह अभिवाक किया है उसे पॉलिसी के निरस्तीकरण की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु दुर्घटना कारित करने वाला वाहन को आच्छादित करने वाली पॉलिसी, पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, चेक के अनादरित होने के कारण स्वतः ही निरस्त हो चुकी थी। इसके उपरांत, चेक के अनादर की सूचना विधिवत् दी गई थी, जिसे प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी द्वारा प्राप्त भी किया गया। इसके बावजूद, दुर्घटना चेक के अनादर की सूचना दिए जाने के लगभग 144 दिनों पश्चात (दिनांक 24/04/2007) को हुई, तथापि प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी द्वारा अपीलकर्ता/बीमाकर्ता को प्रीमियम राशि पुनः जमा करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अतः दावा अधिकरण का यह निष्कर्ष कि पॉलिसी रद्द किए जाने कि सूचना वाहन मालिक को विधिवत नहीं दी गई थी, जो विधि के विपरीत है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

13. इससे अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या अपीलकर्ता/बीमाकर्ता को तृतीय पक्ष के दावे का अनुतोष हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जबकि दुर्घटना कारित करने वालाको आच्छादित करने वाली बीमा पॉलिसी पूर्व में ही निरस्त की जा चुकी थी।

14. **डेडप्पा एवं अन्य बनाम शाखा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब प्रश्नाधीन वाहन को आच्छादित करने हेतु जारी किया गया चेक अनादरित हो जाता है और पॉलिसी के निरस्तीकरण की सूचना वाहन स्वामी को संप्रेषित कर दी जाती है तथा उसके पश्चात दुर्घटना घटित होती है, तब यदि बीमा अनुबंध निरस्त हो चुका है, तो बीमा कंपनी तृतीय पक्ष के दावे के अनुतोष हेतु उत्तरदायी नहीं होगी। अनुच्छेद 24 इस प्रकार है :—

> “24. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि अधिनियम की धारा 147 एवं 149 के परिप्रेक्ष्य में तृतीय पक्ष के संबंध में बीमा कंपनी की वैधानिक देयता तथा अन्य मामलों में उसकी देयता के बीच भिन्नता होती है। किन्तु, बीमा अनुबंध से उत्पन्न देयताओं का निर्वहन तभी किया जाएगा जब अनुबंध विधिसम्मत हो। यदि बीमा अनुबंध निरस्त कर दिया गया है तथा इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को विधिवत् सूचित कर दिया गया है, तो हमारे मत में बीमा कंपनी दावे के अनुतोष हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।”

15. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मम्मा एवं अन्य के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदरजीत कौर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सीमा मल्होत्रा तथा डेडप्पा (पूर्वोक्त) के मामलों में दिए गए अपने पूर्व निर्णयों पर विचार करने के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां किसी अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा प्रीमियम के भुगतान हेतु चेक प्राप्त होने पर बीमा पॉलिसी जारी की जाती है और उक्त चेक अनादरित हो जाता है, वहां उस पॉलिसी द्वारा आच्छादित देयता के संबंध में तृतीय पक्ष के प्रति अधिकृत बीमाकर्ता की प्रतिकर करने की देयता बनी रहती है और उसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147(5) एवं 149(1) के प्रावधानों के कारण प्रतिकर के पंचार का अनुतोष करना होगा, जब तक कि प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा बीमा पॉलिसी को निरस्त न कर दिया गया हो तथा उक्त निरस्तीकरण की सूचना बीमित को दुर्घटना के पूर्व प्राप्त न हो गई हो और अनुच्छेद 19 में निम्न प्रकार से अभिलिखित किया गया है :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> “19. हमारे मत में विधिक स्थिति यह है कि जब किसी अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा प्रीमियम के भुगतान हेतु चेक प्राप्त होने पर बीमा पॉलिसी जारी की जाती है और उक्त चेक अनादरित होकर वापस आ जाता है, तब भी उस पॉलिसी द्वारा आच्छादित देयता के संबंध में तृतीय पक्ष के प्रति अधिकृत बीमाकर्ता की प्रतिकर देने की देयता बनी रहती है, और उसे प्रतिकर के पंचार का अनुतोष करना होता है मोटर यान अधिनियम की धारा 147(5) एवं 149(1) के प्रावधानों के कारण; तथापि, यदि अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा बीमा पॉलिसी निरस्त कर दी जाती है और

> उक्त निरस्तीकरण की सूचना दुर्घटना से पूर्व बीमित को प्राप्त हो जाती है, तो स्थिति भिन्न होगी। अर्थात्, जहां किसी अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा प्रीमियम के भुगतान हेतु चेक प्राप्त होने पर किसी वाहन को आच्छादित करने के लिए बीमा पॉलिसी जारी की जाती है और उक्त चेक अनादरित हो जाता है, तथा वाहन की दुर्घटना घटित होने से पूर्व बीमा कंपनी पॉलिसी को निरस्त कर देती है और उसके संबंध में सूचना वाहन स्वामी को भेज देती है, तो उस स्थिति में बीमा कंपनी की तृतीय पक्ष के प्रति, जो उस पॉलिसी द्वारा आच्छादित थी, प्रतिकर करने की देयता समाप्त हो जाती है, और बीमा कंपनी उस संबंध में प्रतिकर के पंचार का अनुतोष के लिए उत्तरदायी नहीं रहती।

16. वर्तमान प्रकरण में यह निर्विवाद है कि प्रीमियम चेक के अनादरित होने पर, बीमा अनुबंध में निहित शर्तों के अनुसार पॉलिसी स्वतः ही निरस्त हो गई थी। साथ ही, दुर्घटना कारित करने वाला वाहन को आच्छादित करने हेतु तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी क्रमांक 998 के निर्गमन हेतु संयुक्त रूप से जारी किए गए प्रीमियम चेक के अनादर एवं पॉलिसी के निरस्तीकरण की सूचना दिनांक 07/11/2006 को प्रत्यर्थी/वाहन स्वामी को विधिवत् संप्रेषित कर दी गई थी। इसके पश्चात दुर्घटना दिनांक 24/04/2007 को घटित हुई। अतः, उपर्युक्त वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों, विशेषतः डेडप्पा (पूर्वोक्त) के निर्णय में प्रतिपादित विधि को, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में लागू करने पर यह स्पष्ट है कि माननीय दावा अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता/बीमा कंपनी पर आक्षेपित पंचार के अंतर्गत प्रतिकर राशि के भुगतान का दायित्व आरोपित करते हुए स्पष्ट विधिक त्रुटि की गई है। मैं यह अभिमत व्यक्त करता हूँ कि अपीलार्थी/बीमा कंपनी उक्त अधिनिर्णय के अंतर्गत राशि का क्षतिपूर्ति करने हेतु उत्तरदायी नहीं है, अपितु प्रतिवादी/वाहन स्वामी ही उक्त अधिनिर्णय के अनुसार प्रतिकर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अतएव, आक्षेपित अधिनिर्णय उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। यदि कोई राशि अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा जमा की गई है तथा दावेदारों द्वारा आहरित कर ली गई है, तो अपीलार्थी/बीमाकर्ता उक्त राशि की वसूली बीमित/वाहन स्वामी से करने का अधिकारी होगा तथा दावेदारों को अधिनिर्णय की राशि की वसूली हेतु वाहन स्वामी/बीमित के विरुद्ध वसूली करने का अधिकार होगा। अधिनिर्णय में उल्लेखित सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. जहाँ तक दावेदारों (प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2) द्वारा प्रतिकर की वृद्धि की मांग करते हुए प्रस्तुत प्रतिआक्षेप का संबंध है, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कथित किया गया है कि दावा अधिकरण द्वारा गुणक के प्रयोग में गंभीर अवैधता की गई है, उनके अनुसार 5 के स्थान पर 10 का गुणक लागू किया जाना उपयुक्त होता। साथ ही यह भी अभ्यावेदन किया गया है कि ""प्रेम एवं स्नेह की क्षति"" शीर्षक के अंतर्गत ₹10,000/- की राशि प्रदान की गई है, जो अपर्याप्त है तथा ""प्रेम एवं स्नेह की क्षति"" शीर्षक के अंतर्गत प्रदत्त राशि कम है, जिसे बढ़ाकर ₹16,000/- किया जाना अपेक्षित है।

18. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने पर तथा मेरे विचार में, दावेदारों द्वारा प्रतिकर में वृद्धि का कोई प्रकरण सिद्ध नहीं होता है। दावेदारों (प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2) द्वारा प्रस्तुत प्रतिआक्षेप निराधार है तथा विचारणीय नहीं है, अतः इसे निरस्त किया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. परिणामतः, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। अपीलकर्ता/बीमाकर्ता आक्षेपित पंचार के अंतर्गत प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। आक्षेपित पंचार को उपर्युक्त वर्णित सीमा तक संशोधित किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अनुवादक . प्रशांत पारख अधिवक्ता